न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 12/2009

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 राजेन्द्र आयु 51 साल पुत्र प्रहलाद राय।
2 हरीराम आयु 42 साल पुत्र प्रहलाद राय समस्त जाति ब्राह्मण निवासी खाजपूर का बास तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्व अधिनियम 1956 द्वितीय अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 09.02.2009 बअदालत जिला कलेक्टर झुंझुनू अपील उनवानी राजेन्द्र बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मुकदमा नम्बर 145/2008 एवं खिलाफ निर्णय दिनांक 06.10.2008 बअदालत तहसीलदार झुंझुनू प्रकरण उनवानी सरकार बनाम राजेन्द्र मु.नं. 221/2008 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 30.10.2019

यह द्वितीय अपील विचारण न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा मुकदमा संख्या 145/2008 में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार झुंझुनू द्वारा अपीलांट को ग्राम मोजावास खाजपुर तहसील झुंझुनू में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 460 वर्गगज भूमि पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखली, निलामी, शास्ति एवं 3 माह की सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश निर्णय दिनांक 06.10.2008 से पारित किया गया। अपीलांट द्वारा इसकी प्रथम अपील जिला कलेक्टर झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन निर्णय दिनांक 09.02.2009 से खारिज की गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय ने साक्ष्य का विवेचन किये बिना गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। वर वक्त बहस अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलांट ने विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया है। अपील स्वीकार की जावें। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी 2014 (1) पेज 352 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की किस्म चारागाह है। राजस्थान अधिनियम की धारा 16 में ऐसी भूमियों को संरक्षित किया गया है। इस पर अतिक्रमण के कारण तहसीलदार ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की किस्म चारागाह है। इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा करने एवं खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार नही है। दौराने अपील अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया है। अत इस सन्दर्भ में तहसीलदार जांच कर सन्तुष्ट होने पर अपीलांट के विरूद्व पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त किया जाता है। बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तदनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर